न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री मुनिदेव यादव, आर. ए. एस.

अपील संख्या :– 29/16(223 आरटीए)
आरसीएमएस संख्या :–2016/00094

उनवान

1. दौलत खाँ पुत्र उम्मेद खाँ जाति तेली निवासी बाछरैन तहसील भुसावर हाल निवासी 34/50 किरन पथ मानसरोवर जयपुर।

........................अपीलांट।

बनाम

1. जमीन खाँ पुत्र उम्मेद खाँ जाति तेली निवासी बाछरैन तहसील भुसावर हाल निवासी 11 ए रनजीत नगर सांगानेर रेलवे स्टेशन के सामने जयपुर।
2. राम सिंह
3. अमर सिंह
4. ओमप्रकाश
5. जगवीर
6. सुरेश
7. उदय सिंह } पुत्रान दीना
8. भगवान सिंह
9. महाराज सिंह } पुत्रान
10. श्रीमती मुक्ती बेवा } सौना } जाति जाट निवासी मालाहेडा तहसील भुसावर जिला भरतपुर।
11. तेज सिंह पुत्र शोभाराम जाति जाट निवासी पथैना तहसील भुसावर भरतपुर।
12. हीरालाल पुत्र लुक्कीराम
13. प्रेम सिंह पुत्र हीरालाल } जाति जाट निवासी सलेमपुर खुर्द तह0 भुसावर जिला भरतपुर।
14. नरेश कुमार पुत्र विश्वभरदयाल जाति वैश्य
15. विक्रम सिंह
16. हरदेव
17. जसवंत
18. तिमन
19. धौरी सिंह
20. गीता पुत्री } पिस0 लक्ष्मन सिंह जाति जाट
21. मीरा देवी पत्नी राजवीर
22. मीरा पत्नी जय सिंह } निवासी हींगोटा तहसील भुसावर जिला भरतपुर।
23. जल सिंह
24. पुष्पेन्द्र } पुत्र भगवान सिंह जाति जाट निवासी बाछरैन तह0 भुसावर भरतपुर

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

25. कैलाश
26. मोहन सिंह } पुत्र मोतीराम जाति नाई निवासी खानपुर तह0 भुसावर जिला भरतपुर।
27. रमेश चन्द
28. हेमलता पत्नी महावीर जाति जाट निवासी भगवानपुर तहसील भुसावर ।
29. सुफेदी पत्नी ओमप्रकाश जाति जाट निवासी बाछरैन तहसील भुसावर।
30. राज सरकार जरिये श्री तहसीलदार भुसावर जिला भरतपुर।

.... रेस्पोंडेंट ।

अपील अन्तर्गत धारा 223 विरूद्ध निर्णय दिनांक 05.05.2016 व डिक्री दिनांक 21.06.2016 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भुसावर प्र.सं. 57/14 उनवानी दौलत खॉ बनाम जमीन खॉ।

अभिभाषकगण :—

1. वकील अपीलाण्ट श्री दुलीचन्द शर्मा व हेमराज शर्मा उपस्थित।
2. वकील रैस्पो0 श्री सोनीराम शर्मा व विजय सिंह झारौटिया उपस्थित

निर्णय दिनांक—08.05.2024

1. यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भुसावर के निर्णय दिनांक 05.05.2016 व डिक्री दिनांक 21.06.2016 के विरूद्ध पेश की गई है। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी/अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में एक दावा अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध प्रतिवादी रैस्पो0 प्रस्तुत करते हुये, विवादित आराजी का बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड विभाजन किये जाने का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार से विभाजन प्रस्ताव तलव करते हुये, अपीलाधीन आदेश से अंतिम डिक्री कर दिया। जिससे व्यथित होकर वादी/ अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमो के तथ्यो को दौहराते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलाधीन आदेश खिलाफ कानून व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के विपरीत होने के कारण काबिल निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने विभाजन प्रस्ताव तैयार कराने हेतु पक्षकारान को मौके पर उपस्थित होने बाबत् कोई नोटिस नहीं दिया एवं ना ही तहसीलदार स्वयं मौके पर गये। विभाजन प्रस्ताव पटवारी हल्का द्वारा तैयार किये गये हैं। मौके पर रोड पर हमे कम कब्जा दिया गया है। अपीलाण्ट की खरीदशुदा आराजी में पूरी आराजी रोड पर मिलनी चाहिये थी जैसा कि रजिस्ट्री में अंकित है। दोनों पक्षो को मौके पर बुलाकर विभाजन प्रस्ताव तैयार करने चाहिये था। विभाजन के नियम 18—21 की पालना नहीं हुयी। विभाजन प्रस्ताव में अपीलाण्ट के हस्ताक्षर ही नहीं है एवं ना ही विभाजन प्रस्तावो पर आपत्ति करने

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

का अवसर ही अधीनस्थ न्यायालय ने दिया। अंत में अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश को निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

4. विद्वान अभिभाषक रैस्पो0 ने जवाबी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि अनुरूप सही है। विभाजन सही हुआ है। विभाजन प्रस्तावो पर अपीलाण्ट ने कोई आपत्ति अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत नहीं की गयी। विभाजन प्रस्ताव मौके पर जाकर स्वयं तहसीलदार द्वारा तैयार कराये गये हैं। खसरा नम्बर 254 संयुक्त खातेदारी की भूमि है। अतः अकेले अपीलाण्ट को रोड पर नहीं दी जा सकती। नियम 18–21 की पालना की गयी है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। पत्रावली में संलग्न विभाजन प्रस्ताव के अवलोकन से स्पष्ट है कि विभाजन प्रस्तावो में पक्षकारान को राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सेनुसार ही भूमि दी गयी है। विभाजन प्रस्तावो पर तहसीलदार के हस्ताक्षर मौजूद हैं एवं उपस्थित पक्षकारो के भी हस्ताक्षर मौजूद हैं। दौराने बहस अभिभाषक अपीलाण्ट की यह आपत्ति की उन्हें विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय ने मौके पर उपस्थित होने बाबत् सूचना नहीं दी, सारपूर्ण नजर नहीं आती है। क्योंकि विभाजन प्रस्तावो पर अपीलाण्ट को छोडकर लगभग सभी पक्षकारान के हस्ताक्षर अंकित हैं। नजरी नक्शा भी तैयार किया गया है एवं प्रत्येक कुर्रे को नक्शे पर पृथक–पृथक रंगों से प्रदर्शित किया जाकर लगान आदि की फलावट भी की गयी है। इस प्रकार प्रकरण में विभाजन के नियम 18 से 21 की पूर्ण पालना दृष्टिगोचर होती हैं। लिहाजा हम अपील अपीलाण्ट में कोई बल नहीं पाते हैं। हम दौराने बहस अपीलाण्ट की इस आपत्ति को भी अनदेखा नहीं कर सकते कि उनका मौके पर कम भूमि पर कब्जा है। परन्तु इस आपत्ति बाबत् अपीलाण्ट हस्तगत अपील से कोई अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं। अपीलाण्ट चाहे तो इस आपत्ति बाबत् स्वयं अपने स्तर से तहसीलदार/पटवारी हल्का से नियमानुसार पैमाईश कराकर अपनी हिस्से की भूमि पर कब्जा प्राप्त करने हेतु स्वतंत्र हैं। उपरोक्त विवेचनानुसार हम अपील अपीलाण्ट खारिज योग्य समझते हैं।

6. अतः आदेश है कि अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भुसावर के निर्णय दिनांक 05.05.2016 एवं डिक्री दिनांक 21.06.2016 यथावत रखें जाते हैं। पर्चा डिक्री जारी हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावे तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

7. निर्णय आज दिनांक 08.05.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुनिदेव यादव)
भू प्रबंध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर

डिकरी व मुकद्दमे इब्तदाई
(ऑर्डर 20 , रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code,Appendix D&1)

अज अदालत **भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर**

व इजलास श्री मुनिदेव यादव (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्याः– अपील संख्या–29 / 16 (223 आर.टी.एक्ट.)

अपील संख्या 29/16 (223 आरटीए)

आरसीएमएस संख्या:-2016/00094

1. दौलत खाँ पुत्र उम्मेद खाँ जाति तेली निवासी बाछरैन तहसील मुसावर हाल निवासी 34/50 किरन पथ मानसरोवर जयपुर।

-----------अपीलांट।

बनाम

1. जमीन खां पुत्र उम्मेद खाँ जाति तेली निवासी बाछरैन तहसील मुसावर हाल निवासी 11 ए रनजीत नगर सांगानेर रेलवे स्टेशन के सामने जयपुर।

2. राम सिंह
3. अमर सिंह
4. ओमप्रकाश
5. जगवीर
6. सुरेश
7. उदय सिंह

} पुत्रान दीना

8. भगवान सिंह
9. महाराज सिंह

} पुत्रान

10. श्रीमती मुक्ती वेवा

} सौना

} (2–10) जाति जाट निवासी मालाहेडा तहसील मुसावर जिला भरतपुर।

11. तेज सिंह पुत्र शोभाराम जाति जाट निवासी पथैना तहसील भुसावर भरतपुर।
12. हीरालाल पुत्र लुक्कीराम
13. प्रेम सिंह पुत्र हीरालाल

} जाति जाट निवासी सलेमपुर खुर्द तह० भुसावर जिला भरतपुर।

14. नरेश कुमार पुत्र विश्वभरदयाल जाति वैश्य
15. विक्रम सिंह
16. हरदेव
17. जसवंत
18. तिमन
19. धौरी सिंह
20. गीता पुत्री

} (15–20) पिस० लक्ष्मन सिंह जाति जाट

21. मीरा देवी पत्नी राजवीर
22. मीरा पत्नी जय सिंह

} (14–22) निवासी हींगोटा तहसील मुसावर जिला भरतपुर।

23. जल सिंह
24. पुष्पेन्द्र

} पुत्र भगवान सिंह जाति जाट निवासी बाजरैन तह० भुसावर भरतपुर

25. कैलाश
26. मोहन सिंह
27. रमेश चन्द

} पुत्र मोतीराम जाति नाई निवासी खानपुर तह० मुसावर जिला भरतपुर।

28. हेमलता पत्नी महावीर जाति जाट निवासी भगवानपुर तहसील भुसावर ।
29. सुफेदी पत्नी ओमप्रकाश जाति जाट निवासी बाछरैन तहसील भुसावर ।
30. राज सरकार जरिये श्री तहसीलदार भुसावर जिला भरतपुर।

-------रेस्पोंडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 223 विरूद्ध निर्णय दि0 05/05/2016 व डिक्री दि0 21/06/2016 डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भुसावर दि0 प्र.सं 57/14 उन्नवानी दौलत खॉ बनाम जमीन खां ।

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी अपीलांट अभिभाषक श्री दूलीचन्द शर्मा व हेमराज शर्मा उपस्थित अभिभाषक अपीलांट मिनजानिब मुदई व रेस्पोडेंट अभिभाषक सोनिराम शर्मा व विजयसिंह झारोटिया मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि **अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी** भुसावर **के निर्णय दिनांक 05/05/2016 व डिक्री दिनांक 21/06/2016 यथावत रखे जाते है।** बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख.........08.........माह.........05........सन्..........2024.........को जारी की गई।

मुहर

दस्तखत..............................

औहदा..............................

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायलाह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील पर		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत् इजराय हुक्मनामा		
बाबत् इजराय हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मीजान			मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहियें

मुहर

दस्तखत..............................

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)